GUTTMACHER INSTITUTE

IPPF International Planned Parenthood Federation

Demystifying Data

तथ्य शीट

भारत में युवा महिलाओं के यौन एवं प्रजनन संबंधी स्वास्थ्य

• सन् 2014 के आँकड़ों के अनुसार भारत में 15-19 वर्ष की आयु की लगभग 5,62,25,000 महिलाएँ निवास कर रही हैं।

• राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण [National Family Health Survey (NFHS)] नवीनतम उपलब्ध डेटा सन् 2006 का है। इसके अनुसार*, प्राथमिक-स्कूल-उम्र की 71% लड़कियाँ स्कूल जाती थीं, जबकि माध्यमिक-स्कूल-उम्र की केवल 46% महिलाएँ स्कूल जाती थीं।

• जनसंपर्क संसाधनों (पत्र-पत्रिकाओं) तक युवा भारतीय महिलाओं की पहुँच सीमित है: उन 15-19 वर्ष की आयु वाली महिलाओं में, टेलीविज़न तक कम से कम साप्ताहिक तौर पर 59% की, रेडियो तक 34% की तथा समाचार-पत्रों तक 29% की पहुँच है। ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में शहरी क्षेत्रों में पहुँच निश्चित तौर पर अधिक है।

यौन-गतिविधि, विवाह और प्रसूति

• सन् 2006 में, 15-19 वर्ष की आयु की लगभग एक तिहाई से अधिक (28%) महिलाओं ने कभी यौन संबंध बना चुकने के बारे में रिपोर्ट किया।

• कुल महिलाओं के 31% का विवाह 15-19 वर्ष की उम्र में हुआ। इनमें से 28% महिलाएँ पति के साथ रहती थीं, और 3% महिलाएँ वे थीं जो अब तक अपने पति के साथ नहीं रही थीं (अर्थात् उनकी अभी परंपरागत गौने की रस्म पूरी की जानी थी, जो कि साथ रहने की शुरुआत को चिह्नित करती है। गौना आमतौर पर विवाह के कुछ महीनों या वर्षों के बाद होती है)।

• 18-24 वर्ष की आयु की चालीस प्रतिशत महिलाओं ने 18 वर्ष की आयु तक यौन-संबंध बना चुकने के बारे में रिपोर्ट किया। शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में यह अनुपात अपेक्षाकृत अधिक (48% बनाम 24%) था तथा समृद्ध परिवारों की तुलना में निर्धन परिवारों में अधिक (64% बनाम 14%) था।

• देश की 20-24 वर्ष की आयु की लगभग 47% महिलाओं का विवाह 18 वर्ष की कानूनी उम्र से पहले ही हो गया। इस अनुपात में केरल और गोआ के छोटे, अपेक्षाकृत समृद्ध राज्यों में 12-15% से लेकर बिहार और झारखंड जैसे बड़े, ग़रीब और पूर्वी राज्यों में कम से कम 60% का अन्तर है।

• भारत में कम उम्र में अनियोजित डिलीवरी का स्तर अपेक्षाकृत कम है: 20 वर्ष से कम आयु की महिलाओं में चौदह प्रतिशत प्रसव 'अभी नहीं, बाद में' इच्छित (असमय) अथवा 'बिल्कुल नहीं' (सर्वथा अवांछित) के रूप में रिपोर्ट किए गए।

प्रजनन संबंधी-स्वास्थ्य-देखभाल का इस्तेमाल

• सन् 2006 में, 15-19 वर्ष की आयु की विवाहित महिलाओं (13%) ने कम अनुपात में गर्भनिरोधकों का इस्तेमाल किया।

• अन्य 27% ने अगले दो वर्षों के लिए गर्भावस्था से बचना चाहा, लेकिन वे किसी उपयुक्त विधि का उपयोग नहीं कर रही थीं, और इस प्रकार गर्भनिरोधक की आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो पा रही थी। शहर या ग्राम में निवास या परिवार की संपत्ति के अनुसार इस अपूर्ण आवश्यकता के स्तर में अंतर होता है।

* संक्षिप्तता के लिए, हम 2005–2006 NFHS डेटा का संदर्भ देते हैं जो सन् 2006 के लिए लागू हैं।

• 20 वर्ष से कम आयु की महिलाओं में हाल की प्रसूतियों का 2/5 हिस्सा स्वास्थ्य सुविधा केन्द्र (हेल्थ फ़ैसिलिटी) में हुआ।

यौन तथा प्रजनन संबंधी स्वास्थ्य का ज्ञान

• सन् 2006 में, 15-19 वर्ष की आयु की महिलाओं ने औसत रूप से चार आधुनिक गर्भनिरोधक विधियों के बारे में सुना था।

• 15-24 वर्ष की आयु की लगभग 39% महिलाएँ जागरूक थीं कि कंडोम के प्रयोग से एचआईवी (HIV) का जोखिम घटता है, और 49% महिलाएँ जानती थीं कि एक संक्रमणमुक्त साथी (पार्टनर) होने से भी जोखिम घटता है। हालाँकि, अगर एचआईवी/एड्ज़ (HIV/AIDS) के बारे में केवल इतनी जानकारी को व्यापक जानकारी मान लिया जाय कि ये दो विधियाँ HIV-निरोधक हैं और एक स्वस्थ व्यक्ति भी एचआईवी (HIV) पॉज़िटिव हो सकता है तो सिर्फ़ 20% महिलाओं को ही व्यापक जानकारी थी तथा वे एचआईवी (HIV) संक्रमण के बारे में दो आम गलत धारणाओं को अस्वीकार करने में भी सक्षम थीं।

• ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में शहरी क्षेत्रों में व्यापक जानकारी प्राप्त लोगों का अनुपात दो गुना अधिक (33% बनाम 14%) था, और अति निर्धन युवा महिलाओं की तुलना में अति संपन्न युवा महिलाओं में 11 गुना अधिक (45% बनाम 4%) था।

लैंगिक असमानता तथा सामाजिक मानदंड

• भारतीय संस्कृति में बेटे की प्राथमिकता की जड़ें काफ़ी गहरी हैं और अनेक तरीकों से प्रकट होती हैं। इन तरीकों में जन्म के पहले ही लिंग के निश्चय और चयन का प्रयोग और लड़कियों के लिए शैक्षणिक, सामाजिक और आर्थिक संसाधनों की उपलब्धता में गैर बराबरी शामिल है।

किशोर यौन तथा प्रजनन संबंधी स्वास्थ्य के बारे में अधिक जानकारी के लिए पूरी रिपोर्ट देखें: Demystifying Data: A Guide to Using Evidence to Improve Young People's Sexual Health and Rights.

युवा महिलाओं में विवाह

अधिक जल्दी विवाह करने से शैक्षिक और रोज़गार के अवसर सीमित हो सकते हैं, फिर भी बहुत सी भारतीय महिलाएँ - विशेष रूप से वे जो ग़रीब या ग्रामीण हैं - उनकी किशोर वय में शादी हो जाती है।

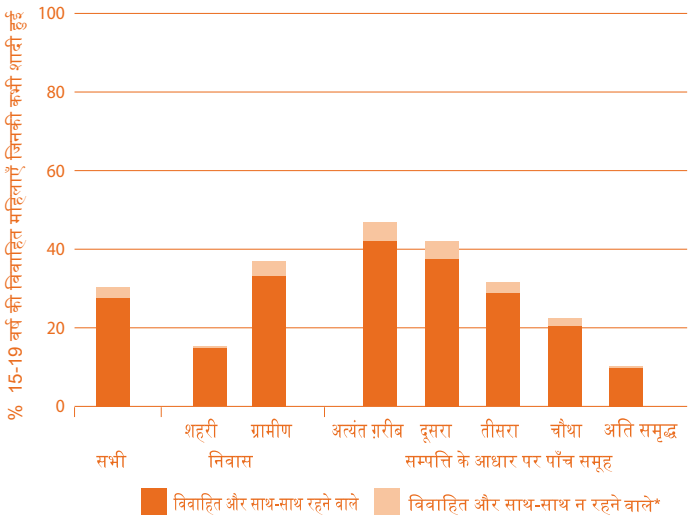

* ये महिलाएँ विवाहित हैं लेकिन अभी *गौना* नहीं हुआ है। गौना रस्में कुछ बड़े उत्तरी राज्यों में आम है। ये रस्म माहवारी शुरू होने के बाद होती है और सहवास की शुरुआत को चिन्हित करती है। ये रस्म शादी के कुछ महीनों या वर्षों बाद भी हो सकती है।

• 15-19 वर्ष की आयु की 55% प्रतिशत महिलाएँ पत्नी को पीटने का औचित्य बताने वाले सब के सब पाँच कारणों से असहमत थीं।

• 3/5 अर्थात 60% महिलाओं का मानना था कि (1) अगर पति ने किसी दूसरी औरत के साथ यौन सम्बन्ध बनाया है, (2) अगर पति यौन संचरित संक्रमण (STI) से पीड़ित है, (3) अगर वह स्वयं थकी हुई है अथवा अनिच्छुक है तो रतिकर्म से इंकार करना सही है।

• 15-19 वर्ष की आयु की विवाहित महिलाओं में से, केवल 40% ने यह रिपोर्ट किया कि अपने स्वास्थ्य की देखभाल के बारे में वे निर्णय के लिये स्वतंत्र अथवा पति के साथ साझेदार हैं। शेष 60% विवाहित युवा महिलाओं ने बताया, कि अपने स्वास्थ्य की देखभाल पर उनका नियंत्रण नहीं है।

राज्य - नीतिगत माहौल

• 2006 के बाल-विवाह नियंत्रण अधिनियम (Child Marriage Restraint Act of 2006) के अनुसार विवाह के लिये कानूनन निर्धारित आयु महिलाओं के लिये 18 वर्ष तथा पुरुषों के लिए 21 वर्ष है।

• स्कूली पाठ्यक्रम में जीवन कौशल और एचआईवी (HIV) निवारण को एकान्वित करने वाले किशोरावस्था शिक्षा कार्यक्रम (Adolescence Education Programme) को राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार किया गया है, लेकिन सन् 2011 में सात राज्यों (छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश) ने सांस्कृतिक कारणों का हवाला देते हुए, इसको अस्वीकार कर दिया या इसके कार्यान्वयन पर रोक लगा दी।

• भारत में लागू गर्भपात का अधिनियम अपेक्षाकृत उदार है और महिला के जीवन या मानसिक अथवा शारीरिक स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए, बलात्कार के मामलों में, अगम्यागमन (incest), भ्रूण विकार; अथवा गर्भनिरोधक उपाय के विफल होने के परिणामस्वरूप गर्भावस्था की स्थिति होने सामाजिक आर्थिक कारणों से गर्भपात की अनुमति देता है।

• गर्भपात की सुविधा इस बात पर निर्भर है कि सुविधा-प्रदाता (शल्यकर्ता) गर्भपात करने के लिये सहमत है अथवा नहीं। 18 वर्ष से कम आयु की महिलाओं और उन महिलाओं के लिए जो मानसिक रूप से विक्षिप्त हैं, अपने अभिभावक की सहमति आवश्यक है।

राज्य-नीति और कार्यक्रम के लिए सुझाव

• वस्तुतः महिलाओं की अच्छी खासी संख्या का विवाह 18 वर्ष की संवैधानिक आयु से पहले कर दिया जाता है। पुरुषों के लिए विवाह की संवैधानिक उम्र का अधिक होना लैंगिक असमानता को संहिताबद्ध कर देने का निरूपण है। शिक्षा और व्यावसायिक अवसरों की असमानता की भी पुष्टि करता है। इस मुद्दे (समस्या) के समाधान में कानून तथा उसके उल्लंघन पर निर्धारित दण्ड के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने से तथा युवा महिलाओं के लिए कानूनी अवलम्ब की व्यवस्था करने से मदद मिल सकती है।

• युवा विवाहित महिलाओं के लिये बड़े पैमाने पर गर्भनिरोधकों की ज़रूरत का पूरा न होना संकेत देता है कि इसकी प्राप्यता के विषय में उपलब्ध सेवा में एक मैत्रीपूर्ण और किफ़ायती सुधार कितना ज़्यादा ज़रूरी है ताकि युवा महिलाएँ अपनी गर्भ को और इस प्रकार अपने जीवन को प्रभावी ढंग से नियोजित करने में समर्थ हो सकें।

• माध्यमिक स्कूल जाने वाली उम्र की महिलाओं में आधे से भी कम महिलाएँ स्कूल जाती हैं। इस बात के मद्देनज़र, पारिवारिक-जीवन-शिक्षा-कार्यक्रम प्राथमिक-स्कूल स्तर पर ही शुरू कर देना चाहिए और उसे स्कूली दायरे के बाहर भी उपलब्ध होना चाहिए। शादी के पहले यौन गतिविधि से जुड़ा कलंक, लैंगिक असमानता तथा लैंगिक हिंसा जैसे मुद्दों को इस शिक्षा-कार्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिये।

• यौन एवं प्रजनन सम्बन्धी स्वास्थ्य-सेवाओं का मैत्रीपूर्ण कार्यान्वयन राज्य-स्तर पर एक समान नहीं है। उपलब्ध प्रमाणों से पता चलता है कि अनेक राज्यों में गोपनीयता के विषय में भय तथा सुविधा-प्रदाताओं के दोषी करार देनेवाला रवैया युवा लोगों को अपनी ज़रूरत की सेवाएँ खोजने और पाने से रोकता है।

यहाँ उल्लिखित अधिकांश आँकड़े Anderson R et al., Demystifying Data: A Guide to Using Evidence to Improve Young People's Sexual Health and Rights, New York: Guttmacher Institute, 2013, भारतीय राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण (Indian National Family Health Survey) तथा डेटा की सारणीबद्ध जानकारी 2005-2006 से लिये गये है। पूर्ण संदर्भों के लिए, कृपया http://www.guttmacher.org/pubs/FB-DD-India.html पर जाएँ।

जिस रिपोर्ट पर यह सारांश आधारित है, उसे और इस सारांश को आइपीपीएफ (IPPF) और हालन्ड के विदेश मंत्रालय के Choices and Opportunities Fund से अनुदान के द्वारा समर्थन मिला।

IPPF International Planned Parenthood Federation
4 Newhams Row
London SE1 3UZ
United Kingdom
टेलीफ़ोन: +44 (0)20 7939 8200
info@ippf.org
www.ippf.org

GUTTMACHER INSTITUTE
125 Maiden Lane
New York, NY 10038 USA
टेलीफ़ोन: 212.248.1111
info@guttmacher.org
www.guttmacher.org

जुलाई 2014